क्रेन गिरने से दो की मौत

रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा

धार/पीथमपुर, 30 अक्टूबर . पीथमपुर के पास सागौर में गुरुवार सुबह रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया. निर्माणाधीन ब्रिज पर गार्डर चढ़ाने का काम चल रहा था, तभी सुबह करीब साढ़े 9 बजे एक भारी क्रेन अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर गई.

क्रेन गिरते ही नीचे से गुजर रहे एक लोडिंग टाटा मैजिक और एक पिकअप वाहन उसकी चपेट में आ गए. हादसे में टाटा मैजिक के चालक और एक अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो गई. क्रेन के नीचे दबने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. एक महिला ने बताया कि उसका बेटा भी वाहन के अंदर दबा हुआ है. राहत कार्य जारी है और क्रेन को हटाने के लिए अन्य क्रेन और जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गार्डर उठाते समय क्रेन एक ओर झुक गई, जिससे वह संतुलन खोकर गिर पड़ी. अगर उस समय कोई यात्री वाहन वहां से गुजर रहा होता, तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

बायपास पर जनसहयोग से लग रहे 100 कैमरे, हर गतिविधि पर रहेगी नजर

- अब पूर्वी बायपास पर भी रहेगी तीसरी आंख की नजर
- तीनों ब्रिज के अंदर और बाहर भी लगाए गए कैमरे

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने जनसहयोग से कनाड़िया बायपास की दोनों सर्विस रोड पर 100 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. तीनों ब्रिज के अंदर और बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अब इस पूरे मार्ग की गतिविधियों पर 24 घंटे तीसरी आंख से निगरानी रखी जा सकेगी. यह कैमरे न सिर्फ यातायात नियंत्रण में मददगार हैं, बल्कि अपराध की घटनाओं के सुराग जुटाने में भी पुलिस के लिए बड़े मददगार बन रहे हैं.

एडीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि बायपास के होटल, पब, ढाबों और पेट्रोल पंप संचालकों के सहयोग से इन कैमरों की स्थापना की गई है. शहर में पहले से ही करीब 10 हजार कैमरे लगे हैं, जिनमें से लगभग 300 पुलिस के हैं और बाकी निजी. लेकिन अब यही निजी कैमरे पुलिस के लिए अपराध सुलझाने के अहम साधन बन चुके हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में शराब ठेकेदार सूरज रजक पर हमले के मामले में भी बायपास क्षेत्र के कैमरों से पुलिस को अहम फुटेज मिला था, जिससे घटना सुलझाने में मदद मिली.

खजराना और लसूड़िया में भी बिछाया गया था कैमरा नेटवर्क

पुलिस ने इससे पहले लसूड़िया और खजराना बायपास पर भी इसी तरह जनसहयोग से कैमरे लगवाए थे. इन क्षेत्रों में करीब 200 कैमरे स्थापित हैं, जो कई मामलों में अपराधियों तक पहुंचने में सहायक साबित हुए हैं. एडीसीपी ने बताया कि कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाती है और फुटेज जरूरत पड़ने पर जांच में सीधे उपयोग किए जाते हैं. उनका कहना है कि अब शहर की सुरक्षा में जनता की भागीदारी ही सबसे बड़ा हथियार बन गई है, क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत मामलों में सुराग इन्हीं कैमरों से मिलते हैं.

एक नजर में

पोस्ट ऑफिस में घुसा सांप, मचा हड़कंप

इंदौर. शहर के जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ऑफिस में अचानक एक लंबा सांप निकल आया. सांप को देखते ही कर्मचारी अपनी-अपनी कुर्सियों से उछल पड़े और वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. मामले की चिड़ियाघर प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट गब्बर नाथ टीम सहित मौके पर पहुंचे. उन्होंने सावधानीपूर्वक सांप को पकड़ा और कुछ ही मिनटों में उसे थैली में सुरक्षित कैद कर लिया. इस दौरान पोस्ट ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी सांस थामे पूरी कार्रवाई देखते रहे. गब्बर नाथ द्वारा सांप का सफल रेस्क्यू करने के बाद सभी ने राहत की सांस ली. बताया जा रहा है कि सांप लंबाई में काफी बड़ा और पतला था, जिसे अब चिड़ियाघर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा. पोस्ट ऑफिस परिसर में सांप निकलने की यह घटना चर्चा का विषय बनी रही. अधिकारियों ने कहा कि परिसर में अब सुरक्षा और सफाई के अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने.

बिजली कंपनी जुटी बुनियादी ढांचे के विस्तार में

इंदौर. सिंहस्थ 2028 को देखते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली आपूर्ति की तैयारियों को गति दे दी है. गुरुवार शाम को कंपनी के प्रबंध निदेशक ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें उज्जैन के अधीक्षण यंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े. प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि मेला अवधि में उज्जैन में लगभग 600 मेगावाट बिजली की आवश्यकता रहेगी, जिसमें से 230 मेगावाट अतिरिक्त मांग केवल मेला क्षेत्र की होगी.

पुलिसकर्मी के बेटे ने की आत्महत्या

सुसाइड नोट में लिखा : मां-पापा माफ करना, मैं आपका भरोसा नहीं निभा सका

इंदौर. शहर की जूनी इंदौर पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शाम को माता-पिता घर लौटे तो क्वार्टर के सामने वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला. झांककर देखा तो बेटा फंदे पर लटका हुआ था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ शव को नीचे उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया.

मृतक की पहचान 24 वर्षीय हर्ष गौड़ निवासी पुलिस लाइन के रूप में हुई है. हर्ष के पिता सतीश गौड़ एमजी रोड थाने में हेड कांस्टेबल हैं. घटना के समय वे अपनी पत्नी के साथ भागवत कथा कार्यक्रम में गए हुए थे. जब वे लौटे तो घर के सामने बने कमरे में बेटे का शव फंदे पर झूलता मिला. बताया जा रहा है कि युवक कई घंटों पहले से फंदे पर लटका हुआ था. पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें हर्ष ने लिखा है, मां-पापा, माफ करना... मैं आपके भरोसे पर खरा नहीं उतर सका, इसलिए यह कदम उठा रहा हूं. परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि हर्ष सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था. शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि पढ़ाई के दबाव या मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया होगा. फिलहाल, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

किन्नर कांड के आरोपी पर एक युवती ने भी लगाया रेप का आरोप

आरोपी राजा हाशमी और उसके साथी समीर हाजी ने छह माह तक कई बार किया दुष्कर्म

नव भारत न्यूज

इंदौर. किन्नर कांड के मुख्य आरोपी राजा हाशमी पर अब एक और युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने हीरा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि राजा हाशमी ने अपने साथी समीर हाजी के साथ मिलकर उसके साथ लगातार छह माह तक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक वर्ष पूर्व पारिवारिक समस्या के चलते वह पालदा निवासी सिमरन नामक किन्नर के संपर्क में आई थी. सिमरन ने ही उसे एमआर-10 पर आयोजित एक भंडारे में राजा हाशमी से मिलवाया. उसी दौरान राजा ने उसका मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिन बाद मिलने बुलाया. पीड़िता ने बताया कि जब वह मिलने गई तो राजा ने उसे नशा मिला पानी पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया. जब उसने विरोध किया तो राजा ने पिस्टल दिखाकर धमकाया. कुछ दिनों बाद राजा ने उसे दोबारा एमआर-10 बुलाया और वहां अपने साथी समीर हाजी से मिलवाया, जिसे उसने बड़ा भाई बताया. इस बार भी पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए गए. पीड़िता ने बताया कि यह सिलसिला करीब छह महीने तक चलता रहा. भय और अपमान के कारण वह इंदौर छोड़कर ननौद चली गई थी. कुछ दिन पहले जब वह वापस लौटी तो करणी सेना नगर अध्यक्ष नितिन ठाकुर, जिला अध्यक्ष जयदीप सिंह चौहान, नगर कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत सिंह बुंदेला, हिंदूवादी नेता कृष्णा वाघ, प्रथम गौर और अधिवक्ता गरीमा बैंडवाल के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला से चेन छीनने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

इंदौर. एयरपोर्ट रोड पर आम रास्ते से गुजर रही महिला के गले से चेन झपटने वाले तीन बदमाशों को एरोड्रम पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 9.05 ग्राम वजनी सोने की चेन कीमत लगभग 1.17 लाख बरामद की गई है, पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है.

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एडिशनल डीसीपी आलोक कुमार शर्मा, एसीपी विवेक सिंह चौहान व थाना प्रभारी तरुण सिंह भाटी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. फरियादिया अर्चना निवासी लक्ष्मी नगर ने पुलिस को बताया कि 27 अक्टूबर की शाम करीब 6.30 बजे वह कालानी नगर सब्जी मंडी से घर लौट रही थीं. रनवे टिकट ऑफिस के सामने दो बदमाश बाइक से आए और गले से सोने की चेन झपटकर एयरपोर्ट की ओर भाग निकले. महिला की शिकायत के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. टीम ने पुराने चेन स्नेचर पर निगरानी रखते हुए 25 से 30 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र की मदद से 24 वर्षीय शुभम चपटा पिता जितेन्द्र वर्मा निवासी सांई सुमन नगर के साथ 19 वर्षीय साहिल मुस्कुरिया पिता मोहन मुस्कुरिया तथा 24 वर्षीय नितिन केल्दा पिता संतोष केल्दा निवासी धोबी मोहल्ला बाणगंगा, तीनों आरोपियों को दबोच लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने शहर में अन्य चेन स्नेचिंग की वारदातें तो नहीं कीं.

पालदा में एक किलो भांग के साथ युवक गिरफ्तार

इंदौर. पुलिस ने एक व्यक्ति को भांग के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से एक किलो गीली भांग बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग एक हजार रुपए बताई जा रही है.भंवरकुंआ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक सोहन मोरे ने बताया 34 वर्षीय अरुण प्रजापत निवासी कुम्हार भट्टी, पालदा को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके पास से एक प्लास्टिक की पन्नी में भरी एक किलो गीली भांग मिली.

BAJAJ FINANCE

सोने के गहनों की नीलामी के लिए समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना

बजाज फाईनान्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः मुंबई–पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे–411035

BFL सभी ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित करता है कि गोल्ड लोन लेते समय ऋणी ने बतौर सेक्युरिटी अपने लोन खाते में सोने के गहने गिरवी रखे और बार–बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जो ऋणी लोन की राशि चुकाने या आवश्यक मार्जिन देने में विफल रहे उनके गहने 'जहां है जैसा है और जो है जैसा है' आधार पर नीलाम किए जाएंगे। निविदा करने वालों से अनुरोध है कि नीचे दी गई शर्तों का पालन करें:

(क) क्यूआर कोड स्कैन कर सार्वजनिक सूचना (लोन, गहनों का सकल वजन, स्थान और नीलामी की तिथि) की सम्पूर्ण जानकारी देखें।

(ख) सार्वजनिक नीलामी से संबंधित निविदा के सभी नियम और शर्तें ("टी एण्ड सी") वेबलिंक http://172.30.1.235:3000/?WOUB2QG9WU के माध्यम से पढ़ें;

(ग) नियम और शर्तें समझ लें और उसके बाद ही नीलामी की तिथि या उससे पहले बतौर अग्रिम जमा राशि रु.25,000 फंड ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/बजाज गोल्ड ऑक्शन ऐप) कर दें;

(घ) नीलामी के स्थान पर सुबह 10 बजे तक व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करें; तथा

(ङ) नीलामी के स्थान पर अपना पहचान और पते का वैध प्रमाण लेकर आएं।

(च) नीलामी की दिन में दोपहर 12 बजे के बाद नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) शाखा प्रबंधक/नीलामीकर्ता को बोली लगाने वालों की भागीदारी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वे निर्धारित समय सीमा में भाग नहीं लेते हैं, चाहे वे अग्रिम राशि जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान कर चुके हो।

स्कैन करें

नीलामी के स्थान और तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसकी सूचना नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित की जाएगी। आपका निविदा करना उपरोक्त शर्तों पर सहमत होना माना जाएगा। यदि सार्वजनिक नीलामी से बिक्री निलंबित/निरस्त होती है तो बीएफएल ऋणी(ऋणियों) के कहने पर निजी तौर पर गहनों की बिक्री करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे इस ईमेल आईडी पर संपर्क करे – gold.auction@bajajfinserv.in

(10-12-25) बैतूल – श्रम कॉम्प्लेक्स; PCA4GOL14152768, 14181493, 14276268, 14290286. भोपाल – इमामी गेट; PF46GOL13893175, 14036830, 14336503, 14330975. भोपाल – इंद्रपुरी; PF49GOL14284798. भोपाल – एमपी नगर; PCA5GOL9173459, L9872010, 10213247, 14273018, 14340057. बीना – इटावा स्टेशन रोड; PCA6GOL14035543, 14090844, 14090261, 14287543, 14316681, 14341438. (11-12-25): छिंदवाड़ा – लालबाग; PEQ1GOL14273662. डबरा – मुख्य सड़क; PKH4GOL13961913, 14109462, 14315387. दतिया – सीता सागर; P34EGOL14072468. देवास – एबी रोड; PGG2GOL14037371, 14184253, 14263066. (12-12-25): गाडरवारा – इंद्रा वार्ड; PKA3GOL14018950. गंज बसौदा – मेन रोड; P02WGOL14093370, 14201735. गुना – ए बी रोड; PEH2GOL13981557, 14053058, 14057260, 14113565, 14286429. ग्वालियर – सिटी सेंटर; PCA7GOL11515324, 14051626, 14131117, 14248647. ग्वालियर – गोला का मंदिर; PJD1GOL13893055, 13904801, 14056658, 14108201, 14133711, 14204950, 14332037. (15-12-25): ग्वालियर–मुरार; PHF9GOL14057272. ग्वालियर – नया बाजार; PF25GOL14003472, 14001364, 14053749, 14057063, 14172267, 14174123. ग्वालियर – विनय नगर; PEF2GOL13961264, 13999227, 14038661, 14079345, 14248724, 14331727. होशंगाबाद – मीनाक्षी चौक; PCA9GOL13873763, 13893655, 13924803, 14004011, 14014907, 14097497, 14099047, 14113337, 14135724, 14157661, 14243065, 14294764, 14287940. (16-12-25) इंदौर – विजयनगर; PGJ9GOL13859658, 13877148, 13887011, 14091193. इटारसी – सराफा बाजार; P03WGOL14030634, 14096732, 14128920, 14296331. जबलपुर – दीनदयाल चौक; PEH4GOL14172359, 14336600. जबलपुर – राइट टाउन; PG03GOL10054750, 10147396, 13885386, 14247505, 14254045, 14263300. (17-12-25) खंडवा – शिवाजी चौक; PCP1GOL14252845, 14296023, 14322054. खरगोन – जवाहर मार्ग; PJC9GOL13910686, 14015400. मंदसौर – नयापुरा रोड; P535GOL14061248, 14331658. मुरैना – शिवनगर; PJC8GOL12352529, 12507622, 12761098, 13095974, 13891448, 13905537, 13963471, 13997720, 13998748, 14014272, 14095569, 14109610, 14134784, 14179051, 14181167, 14291068, 14319531. (18-12-25): नरसिंहपुर – बीजीएल; P6Y8GOL14226517. पोरसा – बीजीएल; P14PGOL14254249. रीवा – बीजीएल; P4A7GOL13944575, 14015943, 14036045, 14076664, 14206668. सबलगढ़; P13PGOL5591433, L5744781. (19-12-25): सागर – परकोटा; PLL1GOL14297626. शहडोल – बीजीएल; P6E0GOL13897647, 13907821, 13968508, 13997603, 14174915, 14204491. श्योपुर – शिवपुरी रोड; PLC3GOL13858168, 13993692, 14079398, 14152017, 14181008, 14205022, 14231569. शिवपुरी – एबी रोड; PEH3GOL13904793, 13963281, 13981510, 14092001, 14109419, 14246320.

बजाज फाईनान्स लिमिटेड

विरोध प्रदर्शन

इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा विरोध, फिर भी समस्या से नहीं मिल रही निजात

भारी-भरकम बिजली बिलों के विरोध में प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा

इंदौर. बिजली विभाग के कंपनी बनने, टीओडी सिस्टम और स्मार्ट मीटर लगने के बाद आ रहे भारी-भरकम बिल को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इसके विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं. लेकिन न तो बिजली कंपनी और न ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है. इंदौर शहर के आक्रोशित उपभोक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय के समक्ष में विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा तथा इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है.

टीओडी सिस्टम एवं स्मार्ट मीटर लगने के बाद हजारों रुपए के बिल उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे हैं. यह समस्या शहर के हर क्षेत्र से सामने आ रही है. ज्ञात हो कि बिजली कानून वर्ष 2003 के अनुसार स्मार्ट मीटर लगवाना न लगवाना उपभोक्ता पर निर्भर करता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि विद्युत कर्मी कानून का डर दिखाते हुए उपभोक्ताओं के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं. यदि इसका विरोध किया जाता है तो विद्युतकर्मियों द्वारा पुलिस को भी बुलवा लिया जाता है. यह पीड़ा एक-दो उपभोक्ताओं की नहीं, बल्कि लाखों उपभोक्ताओं की है. यहां तक कि कच्चे मकान और एक बत्ती का बिल भी 10 से 50 हजार रुपए गरीबों को थमाया जा रहा है. भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन ऑटोमेटिक काट दिया जाता है. स्मार्ट मीटर के विरोध में शहर के अनेक उपभोक्ताओं ने बिजली उपभोक्ता ऐसोसिएशन एवं राज्य संयोजन कमेटी के साथ हाथों में तख्तियां लेकर कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन में रामस्वरूप मंत्री, प्रमोद नामदेव, सोनू शर्मा, मान्या सिंह, दीक्षा यादव, नेहा कुल्हारे, पूजा खन्ना सहित बड़ी संख्या में उपभोक्ता शामिल थे.

यह बोले आंदोलनकारी...

टीओडी सिस्टम में अलग-अलग समय के रेट लगाए जाते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े उद्योगों, फैक्ट्रियों और प्लांट में चोरी होती है, जिसकी भरपाई गरीबों के बिल अनाप-शनाप देकर वसूली की जा रही है. सरकार संज्ञान में लाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है.

- पुष्पेंद्र राजपूत, सामाजिक कार्यकर्ता

देश में आम जनता की सेवा से जुड़े सरकारी विभागों का लगातार निजीकरण हो रहा है. निजीकरण वहां नहीं होना चाहिए, जहां आम लोगों को देने वाली सेवाएं हैं. हमने मजदूर वर्ग के क्षेत्रों में जाकर देखा कि जिनके यहां खाने की मौहताजी है, उनके बिल 10 से 50 हजार रुपए के आ रहे हैं.

- अर्शी खान, समाजसेवी

उपभोक्ताओं को भारी बिल थमाए जा रहे हैं. बिजली कंपनी के अधिकारी मीटर की मिस्टेक मान नहीं रहे हैं, प्रशसान भी सुनने को तैयार नहीं है. इससे साफ प्रतीत होता है कि स्मार्ट मीटरों के लिए करोड़ों का कमीशन बांटा गया है. हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे.

- राहुल निहोरे, सामाजिक कार्यकर्ता

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने फांसी लगाई

पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ केस दर्ज

इंदौर. दहेज की मांग और प्रताड़ना से परेशान एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने जांच के बाद मृतका के पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का प्रकरण दर्ज किया है.

राजेंद्र नगर थाने की जांच अधिकारी निधि सक्सेना ने बताया कि मृतका पिंका कासिया अपने ससुराल हरिजन मोहल्ला, बीजलपुर में रहती थी. जांच में सामने आया कि उसके पति अर्जुन कासिया, सास चंदाबाई, ससुर सुरेश कासिया और ननद यशोदा कासिया उस पर लगातार दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. प्रताड़ना से तंग आकर पिंका ने 17 अक्टूबर की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मर्ग जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, प्रकरण में जांच अभी जारी है.

किशोर वाधवानी और भतीजे नीतेश की अग्रिम जमानत बरकरार

- धोखाधड़ी केस में कोर्ट ने खारिज की शासन की अर्जी
- कोर्ट ने कहा—जमानत निरस्त करने का कोई आधार नहीं

इंदौर. करोड़ों की धोखाधड़ी के एक मामले में कारोबारी किशोर वाधवानी और उनके भतीजे नीतेश वाधवानी को मिली अग्रिम जमानत निरस्त करने से अदालत ने इनकार कर दिया. शासन की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत रद्द की जाए.

दरअसल, किशोर और नीतेश वाधवानी के खिलाफ डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) भोपाल की इंदौर यूनिट की शिकायत पर 10 फरवरी 2021 को तुकोगंज थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था. पूर्व में दोनों आरोपियों ने इस एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई. इसके बाद इसी वर्ष मार्च में नीतेश और अप्रैल में किशोर को अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. इस पर शासन की ओर से दायर अर्जी में कहा गया था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और प्रकरण से संबंधित मूल दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जमानत के दौरान तय सभी शर्तों का पालन किया गया है, इसलिए अग्रिम जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की अदालत ने शासन की अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है,